

- (i) मद (ivक) और कॉलम (3), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(ivख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के आधार पर सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण पैरा 4 की संख्या (iv) का संदर्भ लें/देखें]।”

- (ii) कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक “(ivक),” के पश्चात कोष्ठक और अंक “(ivख),” अंतःस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. 759 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 07/2024-Central Tax (Rate)

G.S.R. 617(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, against serial number 8,

- (i) after item (iva) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following item and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken.

		[Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation].”
--	--	--

- (ii) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iva),”, the brackets and figures “(ivb),” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification number 11/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification number 12/2023-Central Tax (Rate), dated the 19th October, 2023, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 759(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 07/2024-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 618(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv), (v) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

- (i) मद (ivक) और कॉलम (3), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(ivख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के आधार पर सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण पैरा 4 की संख्या (iv) का संदर्भ लें/देखें।”

- (ii) कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक “(ivक),” के पश्चात कोष्ठक और अंक “(ivख),” अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, सा.का.नि. 761 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 07/2024- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 618(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

1. In the said notification, in the Table, against serial number 8,

- (i) after item (iva) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following item and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation].”.

- (ii) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iva),”, the brackets and figures “(ivb),” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification number 11/2017 -Union Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 12/2023-Union Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 761(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 07/2024-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 619(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

(i) मद (ivक) और कॉलम (3), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(ivख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के आधार पर सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन ।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण पैरा 5 की संख्या (iv) का संदर्भ लें/देखें]।”

(ii) कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक “(ivक),” के पश्चात कोष्ठक और अंक “(ivख),” अंतःस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, सा.का.नि. 760 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 07/2024-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 619(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, against serial number 8,

- (i) after item (iva) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following item and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.	5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to clause (iv) of paragraph 5 relating to Explanation].”

- (ii) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iva),”, the brackets and figures “(ivb),” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification no. 8/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification no. 15/2023- Integrated Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 760(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 08/2024-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 620(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-